झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

2रा तल्ला, राजेन्द्र जवान भवन–सह–सैनिक बाजार, मेन रोड, रॉची – 834001.

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इण्लैण्ड पावर लिमिटेड (Inland Power Limited) ने वर्ष FY 2016-17 & FY 2017-18 का True-up का अनुमोदन करने हेतु आयोग में आवेदन दिया है । आवेदन की एक प्रति इण्लैण्ड पावर लिमिटेड ने अपने वेबसाईट (www.ipl.co.in) पर जारी किया थां तथा इसकी सूचना दिनांक 01 और 02 मार्च 2019 के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए दिनांक 25/03/2019 तक आपत्ति/सुझाव/मंतव्य मांगा था । इण्लैण्ड पावर लिमिटेड के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त आवेदन पर उन्हें कोई भी आपत्ति/सुझाव/मंतव्य प्राप्त नहीं हुआ है । उक्त आवेदन की एक प्रति झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, रॉची के वेबसाईट (www.jserc.org/ipl.aspx) पर भी उपलब्ध है ।

विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त अनुमोदन करने के पूर्व एवं पारदर्शिता बरतने के उद्येश्य से झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, रॉची के द्वारा दिनांक **14.06.2019 (शुकवार)** को **02:30** बजे अपराह्न से **होटल मैपल वुड , ओल्ड एच0 बी0 रोड,** (KFC के बगल में) सिरमटोली चौक, रॉची में **जन–सुनवाई** होना सुनिश्चित किया गया है

अतः सभी इच्छुक व्यक्ति/संस्था, उपभोक्ता समूह एवं विज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि जन–सुनवाई में उपस्थित होकर अपने सुझाव, आपत्ति एवं मंतव्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आदेशानुसार

सचिव